न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–8/2019 दायर दिनांक: 16.01.2019

GCMS NO:- 2019/00016

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र फून्दया जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भंवरलाल पुत्र फून्दया जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मोतीलाल पुत्र फून्दया जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. हनुमान पुत्र फून्दया जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. महावीर पुत्र गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. देवलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. सोसर पुत्री गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा हाल पत्नी बद्रीलाल निवासी धोला का रामपुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी।
5. सोहनी पुत्री गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा हाल पत्नी फोरूलाल निवासी सुसाडियातहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मंजूबाई पुत्री गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा हाल पत्नी धन्नालाल निवासी आमली तहसील तालेडा जिला बून्दी।
7. इन्द्राबाई पुत्री गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा हाल पत्नी महावीर निवासी धोला का रामपुरा तहसील बून्दी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. कल्याणी बेव गेन्दीलाल जाति कुम्हार निवासी फतेहपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांसी जर्ये शाखा प्रबन्धक महोदय, बांसी।
10. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुरा पटवार मण्डल मंरा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 79, 80, 81, 82 कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त की आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है तथा खसरा संख्या 72 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा सिवायचक भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का एक मात्र आम सडक मरां से फतेहपुरा जाने वाली के उत्तरी ओर स्थित सिवायचक भूमि खसरा संख्या 72 के मध्य में होकर 25 फीट रास्ता दक्षिण से उत्तरी एवं फिर पश्चिम से पूर्व नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार बना हुआ है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सदैव से करते चले आ रहे है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए 25 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:36 IST
Reason: SelfAttested

। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मौके की स्थिति का सही विवरण नही देकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। यह कि खसरा संख्या 79,80,81,82 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। विधिवत विभाजन करवाये बिना प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 01–07 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः इसके लिए रास्ता खसरा नम्बर 72 रकबा 01–07 बीघा सिवायचक में से 10 गठठा • 2 गठठा = 0–01 बिस्वा दिया जाना प्रस्तावित है जो इनकी भूमि खसरा नम्बर 490 में पहुंचता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में हरी स्याही से दर्शाया गया है जिस पर देवलाल पि0 गेन्दीलाल कौम कुम्हार का अतिक्रमण कब्जा काश्त है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट मरां में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम फतेहपुरा पटवार मण्डल मंरा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 79, 80, 81, 82 कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 72 रकबा 01–07 बीघा सिवायचक में से 0–01 बिस्वा का प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में हरी स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:36 IST
Reason: SelfAttested